असामयिक सेवानिवृत्त प्रकरणों की समीक्षा विषय पर रेलवे में संगोष्ठी

हर महीने आयोजित की जाती है ‘‘ज्ञानदीप‘‘ संगोष्ठी

जबलपुर 21 मई। रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी की गई नई नीतियों, सर्कुलर्स, आदि की अप टू डेट जानकारी रेलकर्मियों के साथ साझा करने के उद्देश्य से महाप्रबंधक के निर्देश पर तथा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के मार्गदर्शन में हर महीने ज्ञानदीप संगोष्ठी का आयोजन पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। इस संगोष्ठी में तीनों मंडलों के अधिकारी, वैगन रिपेयर वर्कशॉप कोटा तथा कोच पुनर्निर्माण कारखाना भोपाल के कार्मिक विभाग से संबंधित अधिकारीगण एवं मुख्यालय के अधिकारी, पर्यवेक्षकगण, डीलिंग क्लर्क आदि शामिल होते हैं तथा अपने अनुभवों को साझा करते हैं और समस्याओं का निराकरण भी करते हैं ।

पश्चिम मध्य रेलवे में 20 मई शुक्रवार को महाप्रबंधक कार्यालय में कार्मिक विभाग के तत्वावधान में ”ज्ञानदीप” नामक एक संगोष्ठी **असामयिक सेवानिवृत्त प्रकरणों की समीक्षा** विषय पर आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के अंतर्गत रेल कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत उनके निपटारे की राशि को उनके परिवार के सदस्यों के बीच मनोनयन होने या न होने आदि की स्थिति में नियमानुसार भुगतान में आने वाली जटिल समस्याओं के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा पेंशन एवं निपटारा राशि भुगतान संबंधी नियमों एवं विभिन्न दावों को सुलझाने आदि प्रकरणों पर केस स्टडी के माध्यम से भी चर्चा की गई। इसका संचालन प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री एस. के. अलबेला के मार्गदर्शन में किया गया। संगोष्ठी में मुख्यालय जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडल के कार्मिक अधिकारी गणों ने वेबेक्स के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण दिया। संगोष्ठी में मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्री प्रभात, मुख्य कार्मिक अधिकारी/आईआर श्रीमती रश्मि दिवाकर, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय श्री एच. एस. मीणा तथा मुख्यालय के समस्त कार्मिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/120/2022 दिनांक 21.05.2022
सम्माननीय संपादक
कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें.

‘सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर